कान्हा इनोवेशन चैलेन्ज (कान्हा नवाचार प्रतियोगिता)

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित/बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय एवं उनके भरण–पोषण हेतु नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। गौवंश की पूर्ण सुरक्षा तभी संभव है, जब गौवंश, उपयोगिता (सप्तगव्य–गौदुग्ध, गौदधि, गौघृत, गोबर, गोमूत्र, गौस्पर्श/गौश्वास और गौरोचन) और उत्पादन के आधार पर एक आर्थिक विकल्प बनेंगे। अतः कान्हा गौ आश्रय स्थलों को गौ उद्योगशाला और तीर्थस्थल–पर्यटनस्थल के रूप में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत गोमय उत्पादों के निर्माण एवं विक्रय के साथ ही गो आश्रय स्थल को तीर्थाटन एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कर कान्हा गौ आश्रय स्थल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उक्त हेतु **"कान्हा नवाचार प्रतियोगिता"** प्रारम्भ किये जाने की योजना है। प्रारम्भ में उक्त योजना प्रदेश के समस्त नगर निगमों में प्रारम्भ की जानी है।

कान्हा नवाचार प्रतियोगिता के अन्तर्गत नगरीय निकायों में संचालित कान्हा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के विषयगत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

(1). गौ पर्यटन–गौ तीर्थाटन :

गौ पर्यटन–गौ तीर्थाटन के माध्यम से कान्हा गौशाला में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उक्त हेतु गौशाला में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही कर छात्र/छात्राओं/गोप्रेमियों/पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों हेतु गौशाला को आकर्षक बनाते हुए उसे सांस्कृतिक/शैक्षिक पर्यटन केन्द्र एवं तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है :–

- गौशाला में गाय की सुन्दर प्रतिमा स्थापित करते हुए उसके चारो ओर **'गौ–परिक्रमा पथ'** विकसित कर तथा गो–परिक्रमा के लाभ के विषयगत **'साईनेज बोर्ड'** लगाकर लोगों को गो–परिक्रमा करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- गो परिक्रमा पथ के समीप ही **'गोदान स्थल'** विकसित किया जा सकता है, जहाँ गोप्रेमियों को गौशाला के गौवंशों के गोदान हेतु आवश्यक सशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए गौशाला को गोदान केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।
- विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा गौप्रेमियों, पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के शिशुओं के खेलने/मनोरंजन हेतु झूले, स्लाईडस् युक्त **'बाल गोपाल उद्यान'** विकसित किया जा सकता है।

- गौशाला में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पेड़–पौधे लगाकर वनीकरण किया जा सकता है। उक्त के क्रम में **'नवग्रह वाटिका'** एवं **पंचवटी** विकसित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त **'औषधीय पौधों का वृक्षारोपण'** गौशाला के आन्तरिक मार्गों पर भी किया जा सकता है।

  नवग्रह वाटिका, पंचवटी एवं औषधीय वन के प्रत्येक पौधों/वृक्षों पर उक्त पौधों/वृक्षों के नाम/वैज्ञानिक नाम, गुण/लाभ, वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का नाम/परिचय इत्यादि से युक्त साईनेज लगाया जा सकता है, जिससे गौशाला में भ्रमण करने वाले आगन्तुकों को संबंधित पौधों/वृक्षों के गुण/लाभ से परिचय कराया जा सके।

- गौशाला में स्थल उपलब्धता की स्थिति में **मियावाकी वन क्षेत्र** तथा **किचेन गार्डेन** का भी विकास किया जा सकता है तथा उक्त से आगंतुकों को कम से कम भूमि पर वनीकरण हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- गौशाला में बड़े पेड़ों के चारों ओर **'गोल चबूतरा'** का भी निर्माण किया जा सकता है।
- गौशालाओं में स्थान की उपलबधता की दशा में **'गौवंशों को खुले में विचरण हेतु चारागाह'** भी बनाया जा सकता है।
- गौशाला में **'गो–सरोवरों'** का निर्माण कर सौन्दर्यीकरण किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत सरोवरों के किनारे बैठने हेतु बेन्च भी लगाया जा सकता है। उक्त सरोवरों में मत्स्य पालन एवं हाईड्रोफाईट पौधों को लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उक्त के विषयगत सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने हेतु साईनेज लगाए जाने चाहिए। बड़े सरोवरों में नौकायन की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।
- गौशाला में **'प्लास्टिक टूरिज्म'** को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत प्लास्टिक के बोतल इत्यादि में पौधारोपण, प्लास्टिक के ईंट, प्लास्टिक के बोतल से वॉल का निर्माण, प्लास्टिक के रिसाईकिल प्रक्रिया इत्यादि का शैक्षिक प्रदर्शन किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबन्ध के विषयगत साईनेज लगाए जाने चाहिए।
- **'गोमय उत्पाद एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन'** कर एवं आगंतुकों को निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाकर गौशाला को पर्यटन हेतु आकर्षक बनाया जा सकता है।

- गौशाला में '**बायोगैस/बायो सी0एन0जी0 प्लान्ट**' के संचालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि के लाभ का प्रदर्शन कर गौशाला को शैक्षिक पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है।
- गौशाला में हरे चारे यथा '**नेपियर घास', जिंजवा, स्थानीय घास** इत्यादि एवं हरे चारे से '**हे/साईलेज**' के निर्माण एवं उनका प्रदर्शन कर गौशाला को शैक्षिक पर्यटन हेतु आकर्षक बनाया जा सकता है।
- गौशाला में चिकित्सालय के बाहर '**गौशल्य चिकित्सा/प्राथमिक उपचार**' के विषयगत साईनेज लगाये जाने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त यदि गौवंश के शल्य चिकित्सा के उपरान्त '**हेयर बॉल/प्लास्टिक अपशिष्ट**' निकलता है तो उसका प्रदर्शन करते हुए उक्त से मनुष्यों एवं गौवंशों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के विषयगत जानकारी आगंतुकों को दी जाय, जिससे उन्हें उक्त के प्रति संवेदनशील किया जा सके।
- गौशाला में गायों की प्रजाति, गौरक्षा विषयक कानून, '**कान्हा गौशाला मैनेजमेंट मैनुअल**' (KGMM) गाय की महत्ता एवं देखभाल के विषयगत साईनेज भी उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाना चाहिए।
- गौशाला में एक स्थान पर संबंधित निकाय की '**बेस्ट प्रेक्टिसेज**' यथा कचरा प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, रेन वाटर हारवेस्टिंग, ए0बी0सी0 सेन्टर इत्यादि के विषयगत महत्वपूर्ण तथ्यों/सूचनाओं/मॉडल का भी प्रदर्शन कर गौशाला को पर्यटन हेतु आकर्षक बनाया जा सकता है।
- गौशाला में '**गोपेन्ट युक्त ध्यान केन्द्र**' बनाया जा सकता है।
- गौशाला में **01 छोटा 'मीटिंग हॉल'** बनाया जा सकता है तथा उक्त मीटिंग हॉल में गौशाला में उपलब्ध संसाधनों, किये जा रहे नवाचारों इत्यादि के विषयगत 05 से 10 मिनट तक '**डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म**' बनाकर प्रदर्शन किया जा सकता है।
- गौशाला में उपर्युक्त स्थान पर '**नगर विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं**' के संबंध में जानकारी दिये जाने के विषयगत वॉलपेंटिंग/साईनेज भी लगाये जाने चाहिए।
- गौशाला में पर्यटकों के भ्रमण हेतु '**गोकार्ट/बैलगाड़ी सफारी**' का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- गौशाला के चारो ओर **स्लोगन, पेंटिंग, बाला पेंटिंग** (BALA-Building As a Learning Aid) कराया जा सकता है।
- गौशाला में पर्यटकों को सशुल्क अल्पाहार/भोजन/हाई टी उपलब्ध कराने हेतु '**अन्नपूर्णा भोजनालय**' को भी विकसित किया जा सकता है।

- गौशाला में भ्रमण करने वाले आगंतुकों के लिए भ्रमण के उपरान्त भ्रमण के दौरान दर्शाए गये तथ्यों के आधार पर 10 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाकर दी जा सकती है। उक्त प्रश्नावली का सही उत्तर देने वाले आगंतुक को पुरस्कार के रूप में **'गौ स्मृति चिन्ह/गो–उत्पाद किट तथा प्रमाण–पत्र'** इत्यादि दिया जा सकता है। एक से अधिक आगंतुकों द्वारा प्रश्नावली के सही उत्तर देने की स्थिति में उनके मध्य लॉटरी के माध्यम से आगंतुक का चयन पुरस्कार हेतु किया जा सकता है।
- गौशाला में प्रति गौवंश के भरण–पोषण हेतु चारे पर आने वाले मासिक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए **'गौ–ग्रास सेवा योजना'** प्रारम्भ की जा सकती है तथा गोप्रेमियों को उक्त की मासिक/वार्षिक/आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- गौशाला में आगंतुकों को भ्रमण कराने के लिए **न्यूनतम 02 प्रशिक्षित गाईड** की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए गोसंवर्द्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(2) गोमय उत्पाद :–

- निकाय के गौशाला में उत्पादित दूध, बछड़ों/बछियों (Calves) के देख–भाल हेतु आवश्यक दूध के पश्चात **अवशेष दूध का विक्रय** रजिस्टर्ड सहकारी संस्था यथा पराग डेयरी, इत्यादि या खुले बाजार में, जहाँ विक्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय किया जा सकता है तथा उक्त धनराशि का उपयोग गौशाला के संचालन एवं अनुरक्षण में किया जाय।
- **गोमय उत्पादन** बायोगैस कम्पोस्ड खाद, गोकाष्ठ, गौमूत्र, गोनाईल, गोमय दीपक–मूर्ति इत्यादि के उत्पादन एवं विक्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
- गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से **पंचगव्य** बनाकर विपणन कर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।
- गोबर व गोमूत्र से **जीवामृत, घनजीवामृत आदि जैविक खाद** का उत्पादन एवं वितरण कर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के विषयगत प्रदेश के समस्त नगर निगमों में 03 माह के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के आधार पर निकाय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार नवाचार एवं प्रदर्शन अधारित अनुदान (Innovation And Performance Grant) दी जायेगी :–

क्रं0सं0	गौशाला में किये गये नवाचार (साईनेज एवं विस्तृत वर्णन सहित)		नवाचार हेतु निर्धारित अंक	इनोवेशन एण्ड परफॉर्मेंस ग्रांट	
				प्राप्तांक	ग्रांट(₹)
1	गाय सफारी	गो परिक्रमा पथ का विकास साईनेज सहित	05	100	06.00 लाख
		गोदान स्थल का विकास साईनेज सहित	05	90	05.00 लाख
		बाल गोपाल उद्यान का विकास	10		
		नवग्रह वाटिका, पंचवटी,मियावाकी एवं किचनगार्डन साईनेज सहित	10	80	04.00 लाख
		औषधीय पौधों का वृक्षारोपण साईनेज सहित	10		
		गोवंश की प्रजाति के विषयगत साईनेज	05		
		गौरक्षा विषयक कानून/गाय की महत्ता एवं देखभाल विषयक साईनेज	05		
		गौ सरोवर का सौन्दर्यीकरण	10		
		प्लास्टिक टूरिज्म हेतु किये गये नवाचार साईनेज सहित	10		
		गोकार्ट/बैलगाड़ी सफारी	10		
		अन्नपूर्णा भोजनालय	15		
		ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषयगत जागरूकता एवं प्रदर्शन	05		
2	चारा आत्मनिर्भरता हेतु	'हे/साईलेज' का निर्माण एवं प्रदर्शन	20	30	05.00 लाख
		गौवंशों को खुले में विचरण हेतु चारागाह	10	20	03.00 लाख

3	चिकित्सा सुविधा हेतु	1000 गौवंशों का पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति	10	70 60	05.00 लाख 04.00 लाख
		1000 से अधिक 5000 गौवंशों तक का पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति	30	40 10	03.00 लाख 02.50 लाख
		5000 से अधिक 10000 गौवंशों तक का पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति	30		
4	वित्त पोषण हेतु	गौग्रास सेवा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 100 आजीवन सदस्य बनाते हुए 01 वर्ष का गौग्रास हेतु दान प्राप्त किये जाने पर	20	20 40 60 >60	01.00 लाख 03.00 लाख 04.00 लाख 05.00 लाख
		01 वित्तीय वर्ष में ₹05 लाख से ₹ 10 लाख तक सी0एस0आर0/ जन सहायता से फन्ड प्राप्त किये जाने की स्थिति में।	15	15 20	03.00 लाख 03.50 लाख

		₹10 लाख से अधिक सी0एस0 आर0/जन सहायता से फन्ड प्राप्त किये जाने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त ₹ 01 लाख पर	05	25 30	04.00 लाख 5.00 लाख
		01 वर्ष में गौशाला में भ्रमण हेतु आने वाले प्रति 10 स्कूल/कालेज/ विद्यालय की टूर की स्थिति में	10	50 100	07.00 लाख 10.00 लाख
5	गौशाला को उद्योगशाला बनाने हेतु	गोमय उत्पाद का निर्माण, विक्रय एवं प्रदर्शन	20	20	02.00 लाख
6	गोसंवर्द्धन हेतु	पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए गोसंवर्द्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर।	10	10	0.50 लाख
7	डिजिटल मॉनिटरिंग हेतु	गौशाला में रखे गये गौवंशों की संख्या, भूसा/चारा भण्डारण, पशुचिकित्सा अधिकारियों के भ्रमण की ऑनलाईन फिडिंग की स्थिति।	05	10 05	01.00 लाख 00.50 लाख
		गौशाला संचालन हेतु प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी अनुदान/ गो–उत्पादों के विक्रय/पर्यटन आदि स्रोतों से प्राप्त धनराशि की नियमित रूप से ऑनलाईन फिडिंग की स्थिति।	05		

गौशालाओं में लगाये जाने वाले साईनेज बोर्ड इत्यादि में एकरूपता के दृष्टिगत डिजाईन तथा प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा।

कान्हा इनोवेशन चैलेन्ज (कान्हा नवाचार प्रतियोगिता)

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित/बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय एवं उनके भरण–पोषण हेतु नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। गौवंश की पूर्ण सुरक्षा तभी संभव है, जब गौवंश, उपयोगिता (सप्तगव्य–गौदुग्ध, गौदधि, गौघृत, गोबर, गोमूत्र, गौस्पर्श/गौश्वास और गौरोचन) और उत्पादन के आधार पर एक आर्थिक विकल्प बनेंगे। अतः कान्हा गौ आश्रय स्थलों को गौ उद्योगशाला और तीर्थस्थल–पर्यटनस्थल के रूप में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत गोमय उत्पादों के निर्माण एवं विक्रय के साथ ही गो आश्रय स्थल को तीर्थाटन एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कर कान्हा गौ आश्रय स्थल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उक्त हेतु **"कान्हा नवाचार प्रतियोगिता"** प्रारम्भ किये जाने की योजना है। प्रारम्भ में उक्त योजना प्रदेश के समस्त नगर निगमों में प्रारम्भ की जानी है।

कान्हा नवाचार प्रतियोगिता के अन्तर्गत नगरीय निकायों में संचालित कान्हा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के विषयगत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

(1). गौ पर्यटन–गौ तीर्थाटन :

गौ पर्यटन–गौ तीर्थाटन के माध्यम से कान्हा गौशाला में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उक्त हेतु गौशाला में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही कर छात्र/छात्राओं/गोप्रेमियों/पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों हेतु गौशाला को आकर्षक बनाते हुए उसे सांस्कृतिक/शैक्षिक पर्यटन केन्द्र एवं तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है :–

- गौशाला में गाय की सुन्दर प्रतिमा स्थापित करते हुए उसके चारो ओर **'गौ–परिक्रमा पथ'** विकसित कर तथा गो–परिक्रमा के लाभ के विषयगत **'साईनेज बोर्ड'** लगाकर लोगों को गो–परिक्रमा करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- गो परिक्रमा पथ के समीप ही **'गोदान स्थल'** विकसित किया जा सकता है, जहाँ गोप्रेमियों को गौशाला के गौवंशों के गोदान हेतु आवश्यक सशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए गौशाला को गोदान केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।
- विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा गौप्रेमियों, पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के शिशुओं के खेलने/मनोरंजन हेतु झूले, स्लाईडस् युक्त **'बाल गोपाल उद्यान'** विकसित किया जा सकता है।

- गौशाला में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पेड़–पौधे लगाकर वनीकरण किया जा सकता है। उक्त के क्रम में **'नवग्रह वाटिका'** एवं **पंचवटी** विकसित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त **'औषधीय पौधों का वृक्षारोपण'** गौशाला के आन्तरिक मार्गों पर भी किया जा सकता है।

  नवग्रह वाटिका, पंचवटी एवं औषधीय वन के प्रत्येक पौधों/वृक्षों पर उक्त पौधों/वृक्षों के नाम/वैज्ञानिक नाम, गुण/लाभ, वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का नाम/परिचय इत्यादि से युक्त साईनेज लगाया जा सकता है, जिससे गौशाला में भ्रमण करने वाले आगन्तुकों को संबंधित पौधों/वृक्षों के गुण/लाभ से परिचय कराया जा सके।

- गौशाला में स्थल उपलब्धता की स्थिति में **मियावाकी वन क्षेत्र** तथा **किचेन गार्डेन** का भी विकास किया जा सकता है तथा उक्त से आगंतुकों को कम से कम भूमि पर वनीकरण हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- गौशाला में बड़े पेड़ों के चारों ओर **'गोल चबूतरा'** का भी निर्माण किया जा सकता है।
- गौशालाओं में स्थान की उपलबधता की दशा में **'गौवंशों को खुले में विचरण हेतु चारागाह'** भी बनाया जा सकता है।
- गौशाला में **'गो–सरोवरों'** का निर्माण कर सौन्दर्यीकरण किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत सरोवरों के किनारे बैठने हेतु बेन्च भी लगाया जा सकता है। उक्त सरोवरों में मत्स्य पालन एवं हाईड्रोफाईट पौधों को लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उक्त के विषयगत सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने हेतु साईनेज लगाए जाने चाहिए। बड़े सरोवरों में नौकायन की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।
- गौशाला में **'प्लास्टिक टूरिज्म'** को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत प्लास्टिक के बोतल इत्यादि में पौधारोपण, प्लास्टिक के ईंट, प्लास्टिक के बोतल से वॉल का निर्माण, प्लास्टिक के रिसाईकिल प्रक्रिया इत्यादि का शैक्षिक प्रदर्शन किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबन्ध के विषयगत साईनेज लगाए जाने चाहिए।
- **'गोमय उत्पाद एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन'** कर एवं आगंतुकों को निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाकर गौशाला को पर्यटन हेतु आकर्षक बनाया जा सकता है।

- गौशाला में '**बायोगैस/बायो सी0एन0जी0 प्लान्ट**' के संचालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि के लाभ का प्रदर्शन कर गौशाला को शैक्षिक पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है।
- गौशाला में हरे चारे यथा '**नेपियर घास', जिंजवा, स्थानीय घास** इत्यादि एवं हरे चारे से '**हे/साईलेज**' के निर्माण एवं उनका प्रदर्शन कर गौशाला को शैक्षिक पर्यटन हेतु आकर्षक बनाया जा सकता है।
- गौशाला में चिकित्सालय के बाहर '**गौशल्य चिकित्सा/प्राथमिक उपचार**' के विषयगत साईनेज लगाये जाने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त यदि गौवंश के शल्य चिकित्सा के उपरान्त '**हेयर बॉल/प्लास्टिक अपशिष्ट**' निकलता है तो उसका प्रदर्शन करते हुए उक्त से मनुष्यों एवं गौवंशों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के विषयगत जानकारी आगंतुकों को दी जाय, जिससे उन्हें उक्त के प्रति संवेदनशील किया जा सके।
- गौशाला में गायों की प्रजाति, गौरक्षा विषयक कानून, '**कान्हा गौशाला मैनेजमेंट मैनुअल**' (KGMM) गाय की महत्ता एवं देखभाल के विषयगत साईनेज भी उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाना चाहिए।
- गौशाला में एक स्थान पर संबंधित निकाय की '**बेस्ट प्रेक्टिसेज**' यथा कचरा प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, रेन वाटर हारवेस्टिंग, ए0बी0सी0 सेन्टर इत्यादि के विषयगत महत्वपूर्ण तथ्यों/सूचनाओं/मॉडल का भी प्रदर्शन कर गौशाला को पर्यटन हेतु आकर्षक बनाया जा सकता है।
- गौशाला में '**गोपेन्ट युक्त ध्यान केन्द्र**' बनाया जा सकता है।
- गौशाला में **01 छोटा 'मीटिंग हॉल'** बनाया जा सकता है तथा उक्त मीटिंग हॉल में गौशाला में उपलब्ध संसाधनों, किये जा रहे नवाचारों इत्यादि के विषयगत 05 से 10 मिनट तक '**डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म**' बनाकर प्रदर्शन किया जा सकता है।
- गौशाला में उपर्युक्त स्थान पर '**नगर विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं**' के संबंध में जानकारी दिये जाने के विषयगत वॉलपेंटिंग/साईनेज भी लगाये जाने चाहिए।
- गौशाला में पर्यटकों के भ्रमण हेतु '**गोकार्ट/बैलगाड़ी सफारी**' का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- गौशाला के चारो ओर **स्लोगन, पेंटिंग, बाला पेंटिंग** (BALA-Building As a Learning Aid) कराया जा सकता है।
- गौशाला में पर्यटकों को सशुल्क अल्पाहार/भोजन/हाई टी उपलब्ध कराने हेतु '**अन्नपूर्णा भोजनालय**' को भी विकसित किया जा सकता है।

- गौशाला में भ्रमण करने वाले आगंतुकों के लिए भ्रमण के उपरान्त भ्रमण के दौरान दर्शाए गये तथ्यों के आधार पर 10 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाकर दी जा सकती है। उक्त प्रश्नावली का सही उत्तर देने वाले आगंतुक को पुरस्कार के रूप में **'गौ स्मृति चिन्ह/गो–उत्पाद किट तथा प्रमाण–पत्र'** इत्यादि दिया जा सकता है। एक से अधिक आगंतुकों द्वारा प्रश्नावली के सही उत्तर देने की स्थिति में उनके मध्य लॉटरी के माध्यम से आगंतुक का चयन पुरस्कार हेतु किया जा सकता है।
- गौशाला में प्रति गौवंश के भरण–पोषण हेतु चारे पर आने वाले मासिक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए **'गौ–ग्रास सेवा योजना'** प्रारम्भ की जा सकती है तथा गोप्रेमियों को उक्त की मासिक/वार्षिक/आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- गौशाला में आगंतुकों को भ्रमण कराने के लिए **न्यूनतम 02 प्रशिक्षित गाईड** की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए गोसंवर्द्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(2) गोमय उत्पाद :–

- निकाय के गौशाला में उत्पादित दूध, बछड़ों/बछियों (Calves) के देख–भाल हेतु आवश्यक दूध के पश्चात **अवशेष दूध का विक्रय** रजिस्टर्ड सहकारी संस्था यथा पराग डेयरी, इत्यादि या खुले बाजार में, जहाँ विक्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय किया जा सकता है तथा उक्त धनराशि का उपयोग गौशाला के संचालन एवं अनुरक्षण में किया जाय।
- **गोमय उत्पादन** बायोगैस कम्पोस्ड खाद, गोकाष्ठ, गौमूत्र, गोनाईल, गोमय दीपक–मूर्ति इत्यादि के उत्पादन एवं विक्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
- गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से **पंचगव्य** बनाकर विपणन कर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।
- गोबर व गोमूत्र से **जीवामृत, घनजीवामृत आदि जैविक खाद** का उत्पादन एवं वितरण कर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के विषयगत प्रदेश के समस्त नगर निगमों में 03 माह के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के आधार पर निकाय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार नवाचार एवं प्रदर्शन अधारित अनुदान (Innovation And Performance Grant) दी जायेगी :–

क्रं0सं0	गौशाला में किये गये नवाचार (साईनेज एवं विस्तृत वर्णन सहित)		नवाचार हेतु निर्धारित अंक	इनोवेशन एण्ड परफॉर्मेंस ग्रांट	
				प्राप्तांक	ग्रांट(₹)
1	गाय सफारी	गो परिक्रमा पथ का विकास साईनेज सहित	05	100	06.00 लाख
		गोदान स्थल का विकास साईनेज सहित	05	90	05.00 लाख
		बाल गोपाल उद्यान का विकास	10		
		नवग्रह वाटिका, पंचवटी,मियावाकी एवं किचनगार्डन साईनेज सहित	10	80	04.00 लाख
		औषधीय पौधों का वृक्षारोपण साईनेज सहित	10		
		गोवंश की प्रजाति के विषयगत साईनेज	05		
		गौरक्षा विषयक कानून/गाय की महत्ता एवं देखभाल विषयक साईनेज	05		
		गौ सरोवर का सौन्दर्यीकरण	10		
		प्लास्टिक टूरिज्म हेतु किये गये नवाचार साईनेज सहित	10		
		गोकार्ट/बैलगाड़ी सफारी	10		
		अन्नपूर्णा भोजनालय	15		
		ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषयगत जागरूकता एवं प्रदर्शन	05		
2	चारा आत्मनिर्भरता हेतु	'हे/साईलेज' का निर्माण एवं प्रदर्शन	20	30	05.00 लाख
		गौवंशों को खुले में विचरण हेतु चारागाह	10	20	03.00 लाख

3	चिकित्सा सुविधा हेतु	1000 गौवंशों का पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति	10	70 60	05.00 लाख 04.00 लाख
		1000 से अधिक 5000 गौवंशों तक का पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति	30	40 10	03.00 लाख 02.50 लाख
		5000 से अधिक 10000 गौवंशों तक का पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की स्थिति	30		
4	वित्त पोषण हेतु	गौग्रास सेवा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 100 आजीवन सदस्य बनाते हुए 01 वर्ष का गौग्रास हेतु दान प्राप्त किये जाने पर	20	20 40 60 >60	01.00 लाख 03.00 लाख 04.00 लाख 05.00 लाख
		01 वित्तीय वर्ष में ₹05 लाख से ₹ 10 लाख तक सी0एस0आर0/ जन सहायता से फन्ड प्राप्त किये जाने की स्थिति में।	15	15 20	03.00 लाख 03.50 लाख

		₹10 लाख से अधिक सी0एस0 आर0/जन सहायता से फन्ड प्राप्त किये जाने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त ₹ 01 लाख पर	05	25 30	04.00 लाख 5.00 लाख
		01 वर्ष में गौशाला में भ्रमण हेतु आने वाले प्रति 10 स्कूल/कालेज/ विद्यालय की टूर की स्थिति में	10	50 100	07.00 लाख 10.00 लाख
5	गौशाला को उद्योगशाला बनाने हेतु	गोमय उत्पाद का निर्माण, विक्रय एवं प्रदर्शन	20	20	02.00 लाख
6	गोसंवर्द्धन हेतु	पशुधन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए गोसंवर्द्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर।	10	10	0.50 लाख
7	डिजिटल मॉनिटरिंग हेतु	गौशाला में रखे गये गौवंशों की संख्या, भूसा/चारा भण्डारण, पशुचिकित्सा अधिकारियों के भ्रमण की ऑनलाईन फिडिंग की स्थिति।	05	10 05	01.00 लाख 00.50 लाख
		गौशाला संचालन हेतु प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी अनुदान/ गो–उत्पादों के विक्रय/पर्यटन आदि स्रोतों से प्राप्त धनराशि की नियमित रूप से ऑनलाईन फिडिंग की स्थिति।	05		

गौशालाओं में लगाये जाने वाले साईनेज बोर्ड इत्यादि में एकरूपता के दृष्टिगत डिजाईन तथा प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा।